trans
2025/458

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

दशरथ सिंह वगै0 बनाम अरूण सिंह

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 96 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.08.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस एकतरफा में निवेदन किया की भूमि आराजी ख0न0 2158 रकबा 0.2023 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू, पटवार हल्का पीपलू प्रथम तह0 पीपलू में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण मालिक, स्वामी, खातेदार, काबिज काश्तकार है एवं शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजी के पास ही प्रतिपक्षी संख्या 01 की भूमि ख0न0 2157 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू में स्थित है। जिसको प्रतिपक्षी संख्या 01 ने गै.मु. आबादी में परिवर्तन करवा रखा है। प्रतिपक्षी संख्या 01 का प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नही है, परन्तु प्रतिपक्षी संख्या 01 लडाकू, झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है, जो प्रार्थीगण भूमि में घुसकर उसमे जबरदस्ती प्लॉट काटकर अजनबी व्यक्तियो को विक्रय करने तथा कच्चा/पक्का निर्माण कर, प्रार्थीगण की भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा प्रतिपक्षीगण का उक्त आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.2023 हैक्टयर वाके ग्राम पीपलू, पटवार हल्का पीपलू प्रथम में मौके की यथास्थिती	

उप खण्ड अधिकारी

बनाये रखे। तलबी प्रतिपक्षीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी. जारी हो, यदि इस आदेश के जारी होने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज पेश करे। पत्रांवली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 17.09.2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

27.08.25 प्रा.पत्र वाद वादीगण तलब कर डिक्री किये जाने बाबत प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज पेश हुई।। चूंकि मूल वाद डिक्री दिनांक को प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा किये जाने के कारण प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण मे अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण जारी स्थगन आदेश इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)